सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **57/2018** दायर दिनाँक **21.02..2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जमीरदीन पुत्र सायब खाँ, उम्र–48साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–नजमिया मौहल्ला, शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. आसिया पत्नी अल्लाउदीन, उम्र–60साल, 2. अमीरदीन पुत्र सायबखाँ, उम्र–48साल, 3. मो0 हुसैन पुत्र सायबखाँ, उम्र–45साल, 4. अ0 सत्तार पुत्र पुत्र सायबखाँ, उम्र–36साल, 5. खलील अहमद पुत्र पुत्र सायबखाँ, उम्र–40साल, 6. जोमरदीन पुत्र ईजाजखाँ, उम्र–70साल, 7. जफरूदीन पुत्र ईजाजखाँ, उम्र–65साल, 8. मोईदीन पुत्र ईजाजखाँ, उम्र–63साल, 9. लालखाँ पुत्र ईजाजखाँ, उम्र–60साल, 10. गनीखाँ पुत्र ईजाजखाँ, उम्र–58साल, 11. कमरूदीन पुत्र इनायतखाँ, उम्र–65साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–नजमिया मौहल्ला, शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. यूको बैंक, छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो. शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मो. रफिक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02, 03 व 06 ता 11 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 57/2018
दायर दिनाँक 21.02.2018, निर्णय दिनाँक 16.04.2018
जमीरदीन बनाम् आसिया, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **16.04.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 336 रकबा 19.17 बीघा व खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 की संयुक्त खातेदारी की स्थित है। नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 05 व 11 ने प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के खसरा नम्बर 336 रकबा 19.19 बीघा व खसरा नम्बर 344 रकबा 0.09 बीघा कुल रकबा 42.12 बीघा में से 2/9 हिस्से का बैचाण दिनाँक 21.01.2006 को किया था।

वादग्रस्त भूमि हाईवे सड़क पर आने से खसरा नम्बर 344 रकबा 09 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 336 रकबा 19.19 बीघा में से रकबा 02 बिस्वा भूमि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नाम चली गयी है इसलिए अब खसरा नम्बर 336 रकबा 19.19 बीघा की जगह खसरा नम्बर 336 रकबा 19.17 बीघा शेष रही है।

उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि का बैचाण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 05 व 11 ने प्रतिवादी संख्या 01 आसिया के पक्ष में मात्र 2/9 हिस्सा ही बैचाण किया था लेकिन राजस्व अधिकारी की भूलवश उक्त जमीन में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 05 व 11 को बिलकुल ही निकाल दिया है जबकि वादी व प्रतिवादीगण ख्या 05 व 11 का अभी मौजूदा खातेदारी में कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज अवश्य है मगर वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बन्टवारा निम्न प्रकार से हो रखा है:–

(क) <u>वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 के बन्ट में आई भूमि–</u>

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि में से रकबा 05.12 बीघा भूमि संयुक्तरूप से नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में आई है।

(ख) <u>प्रतिवादी संख्या 01 आसिया के बन्ट में आई भूमि–</u>

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि में से रकबा 11.00 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में आई है।

(ग) <u>प्रतिवादी संख्या 06 ता 10 के बन्ट में आई भूमि–</u>

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 336 रकबा 19.17 बीघा भूमि सम्पूर्ण नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में आई है।

(घ) <u>प्रतिवादी संख्या 11 कमरूदीन के बन्ट में आई भूमि–</u>

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि में से रकबा 05.12 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में आई है।

खसरा नम्बर 336 रकबा 19.17 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ता 04 का नाम हटाया जावे तथा खसरा नम्बर 337

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

रकबा 22.04 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 10 का नाम हटाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनाँक 20.02.2018 को वादग्रस्त भूमि के बैचाण की धमकी वादी को देने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि में से रकबा 05.12 बीघा भूमि संयुक्तरूप से नजरीनक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 के घोषित की जावे।

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि में से रकबा 11.00 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 आसिया के घोषित की जावे।

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 336 रकबा 19.17 बीघा भूमि सम्पूर्ण नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 10 के घोषित की जावे।

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि में से रकबा 05.12 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी संख्या 11 कमरूदीन के घोषित की जावे।

खसरा नम्बर 336 रकबा 19.17 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ता 04 का नाम हटाया जावे तथा खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 10 का नाम हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 04, 05, 12 व 13 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबालिया जवाब पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02, 03 व 06 ता 11 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मो. शरीफ शेरानी व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मो. रफिक ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक, वाद अनुतोषानुसार पक्षकारान् दावा डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम शेरानी आबाद सम्वत् 2070 से 2073 खेवट संख्या 54 / 44 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 57/2018
दायर दिनाँक 21.02.2018, निर्णय दिनाँक 16.04.2018
जमीरदीन बनाम् आसिया, वगैरा।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद **शेरानी आबाद** के निम्न खसरान् का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर वर्तमान खातेदारी के स्थान पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शितानुसार निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि में से,** रकबा 05.12 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को संयुक्त खातेदार काश्तकार व रकबा 11.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार व रकबा 05.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 336 रकबा 19.17 बीघा भूमि सम्पूर्ण का,** प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 10 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **16.04.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **57/2018** दायर दिनाँक **21.02.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जमीरदीन पुत्र सायब खाँ, उम्र—48साल, जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—नजमिया मौहल्ला, शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. आसिया पत्नी अल्लाउदीन, उम्र—60साल, 2. अमीरदीन पुत्र सायबखाँ, उम्र—48साल, 3. मो0 हुसैन पुत्र सायबखाँ, उम्र—45साल, 4. अ0 सत्तार पुत्र पुत्र सायबखाँ, उम्र—36साल, 5. खलील अहमद पुत्र पुत्र सायबखाँ, उम्र—40साल, 6. जोमरदीन पुत्र ईजाजखाँ, उम्र—70साल, 7. जफरूदीन पुत्र ईजाजखाँ, उम्र—65साल, 8. मोईदीन पुत्र ईजाजखाँ, उम्र—63साल, 9. लालखाँ पुत्र ईजाजखाँ, उम्र—60साल, 10. गनीखाँ पुत्र ईजाजखाँ, उम्र—58साल, 11. कमरूदीन पुत्र इनायतखाँ, उम्र—65साल, समस्त,जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—नजमिया मौहल्ला, शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 12. यूको बैंक, छोटी खाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **16.04.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो. शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मो. रफिक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02, 03 व 06 ता 11 ओर से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद **शेरानी आबाद** के निम्न खसरान् का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर वर्तमान खातेदारी के स्थान पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शितानुसार निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:—

1. **खसरा नम्बर 337 रकबा 22.04 बीघा भूमि में से**, रकबा 05.12 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को संयुक्त खातेदार काश्तकार व रकबा 11.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार व रकबा 05.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 336 रकबा 19.17 बीघा भूमि सम्पूर्ण का**, प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 10 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.........—......... मुबलिंग..........—............ बाबत.......... ....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.04.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह	—		स्टाम्प अर्जी		
सबूत	—		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner